

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00750

दिनांक 31.07.2018

सेवा में,

श्री योगेन्द्र कुमार मिश्रा,

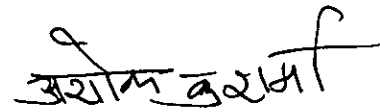
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 12.07.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 25.07.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 817) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 26.07.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1, 2, 3, 4 एवं 5	आपने अपने आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है। अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है। विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है, का अवलोकन करें।
----------------------------	--

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690